

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
कैलाश चंद मीना पुत्र श्री घम्मन राम मीना, ग्राम जिन्सी का पुरा, पोस्ट व तहसील टोड़ाभीम जिला
करौली राज. – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टोड़ाभीम
मु.नं. 32/19 किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005

– रेस्पोंडेण्ट

ता.रजु 27.11.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11. 2019	<p>अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टोड़ाभीम को आवेदन प्रेषित कर वार्ड नं. 17 ग्राम जिन्सी का पुरा में बनाई गई सी.सी.सडकों के संबंध में सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टोड़ाभीम द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका टोड़ाभीम के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली</p>	

